(2)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज रमेश चन्द्र गर्ग बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 19/2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.03.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रमेश चन्द्र गर्ग पता ग्राम भटिण्डा वाया बनाड़ जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 20.12.17 में उसके द्वारा (1) ग्राम पंचायत भटिण्डा पं.सं लूणी जिला जोधपुर में 2010 से दिसम्बर 2017 तक इंदिरा आवास व बी.पी.एल. योजना के लाभान्वित परिवारों के सूची उपलब्ध कराने व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी आज अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 236 दिनांक 27.02.18 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना का अधिकार अधिनियम प्रार्थना–पत्र में वर्णित सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर ग्राम पंचायत भटिण्डा से संबंधित होने के कारण का प्रार्थना–पत्र धारा 6(3) के तहत ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत भटिण्डा, पंचायत समिति लूणी को कार्यालय के पत्रांक 1708 दिनांक 27.12.17 द्वारा अंतरित कर दिया गया तथा पत्र की प्रति प्रार्थी को भी दी गई। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र संबंधित लोक सूचना अधिकारी (ग्राम सेवक ग्राम पंचायत भटिण्डा) को विधिक प्रावधानों के तहत स्थानान्तरित कर दिया गया। ग्राम पंचायत भटिण्डा के लोक सूचना अधिकारी(ग्राम सेवक पदेन सचिव) के द्वारा सूचना नहीं दी गई है, या दी गई सूचना से कोई व्यक्ति व्यथित है, तो प्रथम अपीलीय अधिकारी **सरपंच**, ग्राम पंचायत भंटिण्डा के समक्ष अपील पेश करने का प्रावधान है अतः अपीलार्थी को सक्षम प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करनी चाहिए, परिणामस्वरूप यह अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य है, जो निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	